Online-1012.
ई0प0सं0 34928/2022-02(178पे0)/21

प्रेषक,

इवा आशीष श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 10 अक्टूबर, 2022

विषय :- हल्द्वानी शाखान्तर्गत कुसुमखेड़ा पेयजल योजना में प्राथमिक विद्यालय छड़ायल सुयाल, वार्ड नं0 43 में नलकूप निर्माण एवं तत्संबंधी कार्य की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4310/TAC/2021-22 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हल्द्वानी शाखान्तर्गत कुसुमखेड़ा पेयजल योजना मे प्राथमिक विद्यालय छड़ायल सुयाल, वार्ड नं0 43 में नलकूप निर्माण एवं तत्संबंधी कार्य की टी0ए0सी0 नियोजन विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी ₹ 262.53 लाख (₹ दो करोड़ बासठ लाख त्रेपन हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 105.012 लाख (₹ एक करोड पांच लाख एक हजार दो सौ मात्र) धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

(viii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(ix) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आंगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए। 1

(x) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनअुल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(xiii) ऊर्जा दक्षपम्प सैट BEE भारत सरकार द्वारा निर्धारत मानकों के अनुसार क्रय किए जाय तथा क्रय किए जाने वाली मोटरसैट IE-3IS12615-2011 के मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

(xiv) नलकूपों से जल पम्प किए जाने वाले जल के मापन हेतु फ्लो मीटर अधिष्ठापित किया जाए, ताकि जल पम्प की मात्रा की गणना हो सके तथा इसका प्रतिदिन का अभिलेखीय रिकार्ड रखा जाए।

(xv) नलकूप ड्रिलिंग कार्य प्रारम्भ किए जाने से पूर्व बाउण्ड्री वाल का निर्माण किया जाए।

(xvi) नलकूप परिसर के लिए प्रवेश विद्यायल मैदान की ओर से न हो।

(xvii) नलकूप अधिष्ठापन/निर्माण की पूर्ण अवधि में छात्र–छात्राओं को दूर रखने के लिए चेतावनी बोर्ड तथा गार्ड की व्यवस्था की जाए।

(xviii) सुरक्षा उपायों के लिए संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01– जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–53–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या H22100130002 दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 391/9(150)–2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2021 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित सं0 I/67767/2022 दिनांक 30 सितम्बर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

Signed by Iva Ashish Srivastava
Date: 10-10-2022 13:32:33

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृ0सं0–34928(1)/2022–(178पे0)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 10-10-2022 13:53:17
(डी0एम0एस0राणा)
संयुक्त सचिव।

Generated from eOffice by NAGENDRA SINGH MATHURA, SO-NSM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 10/10/2022 05:22 PM